राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

दूरभाष–0141–2740239, फेक्स–0141–2742309, ई मेलः jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ.4(ई)(एस)(555)/2023/अलेसे–III/694 दिनांक :– 26-06-2025

आदेश संख्या :– 340/2025–26

कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 में चयनित **श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा**, परीवीक्षाधीन कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 762889), हाल पदस्थापित कार्यालय आयुक्त पंचायती राज विभाग, जयपुर को विभागीय नियुक्ति आदेश संख्या 242/2024–25 दिनांक 11.01.2025 के द्वारा शर्तो के अध्यधीन कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कोषालय, जयपुर (शहर) में नियुक्त किया गया था, जिसमें बिन्दु संख्या 02 पर उल्लेखित है कि **"राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश/आदेश लागू होंगे। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नही पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।"**

श्री शर्मा द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंकित किया गया है कि "मेरा चरित्र उत्तम है और मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में दोष सिद्ध अपराध नहीं है और न ही कोई अपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में लम्बित है/पुलिस में अनुसंधानरत् है। यदि उक्त सूचनाएँ किसी तरह से पुलिस सत्यापन में असत्य पायी जावे तो प्रार्थी की कनिष्ठ लेखाकार पद की नियुक्ति बिना शर्त/नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा असत्य कथन प्रस्तुत करने के लिये विभाग भारतीय न्याय संहिता /भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र होगा।"

विभाग द्वारा श्री शर्मा का नियुक्ति उपरान्त सम्बन्धित पुलिस आयुक्त, जयपुर से पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन करवाये जाने पर कार्यालय पुलिस आयुक्त, जयपुर के पत्र क्रमांक WG-299 दिनांक 22.04.2025 के द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री शर्मा के विरूद्ध पुलिस थाना–हरमाड़ा जयपुर में मुकदमा नं. 154/2011 दिनांक 23.04.2011 धारा 323, 341, 147 आईपीसी के अन्तर्गत दर्ज है जो कि वर्तमान में विचाराधीन न्यायालय है। श्री शर्मा द्वारा कार्यग्रहण के समय उक्त तथ्यों को छुपाते हुए कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण किया गया।

कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के बिन्दु संख्या 01 के उपबिन्दु संख्या (VI) के अनुसार भारतीय दण्ड संहित की धारा 147, 148 (बलवा करना) के अपराध में अंतर्वलित अभ्यर्थी राज्य के अधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र है।

अतः श्री शर्मा के विरूद्ध दर्ज मुकदमें के आधार पर कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019, विभागीय आदेश संख्या 242/2024–25 दिनांक 11.01.2025 के कनिष्ठ लेखाकार पद की नियुक्ति की शर्तो के बिन्दु संख्या 02 एवं श्री शर्मा द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण के समय झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर तथ्य छुपाये जाने के आधारों पर श्री सुनील शर्मा को तुरन्त प्रभाव से राजकीय सेवा से पदच्युत किया जाता है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.4(ई)(एस)(555)/2023/अलेसे–III/694 दिनांक :– 26-06-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ।
6. संयुक्त विधि परामर्शी, कोष एवं लेखा विभाग।
7. कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)।
8. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) कोष एवं लेखा विभाग।
9. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
10. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक II/III)